फा.सं.4/3/2009-जेसीए
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
स्थापना (जेसीए-I) अनुभाग
....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 30 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः विभागीय परिषदों के कार्य संचालन के संबंध में जानकारी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यह विभाग संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (जेसीएम) स्कीम का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से विभागीय परिषद की नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। इस संबंध में दिनांक 2.11.2016 का एक समसंख्यक अर्द्धशासकीय पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) विभागीय परिषदों की बैठकें आयोजित करने के संबंध में जानकारी देने के लिए पहले भेजा गया था।

2. प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट होता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों में विभागीय परिषदों का गठन ही नहीं किया गया है और कुछ मामलों में, यद्यपि विभागीय परिषदों का गठन किया गया है, परंतु नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं की जा रही है।

3. जेसीएम स्कीम में अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों के स्तर पर, जिसमें उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं, विभागीय परिषदों के लिए प्रावधान है। तथापि, जेसीएम के कर्मचारी पक्ष की यह शिकायत रही है कि मंत्रालय/विभागीय स्तर पर विभागीय परिषदों के तंत्र के माध्यम से कर्मचारी पक्ष के साथ नियमित संवाद नहीं किया जा रहा है। विभागीय परिषदों की बैठकें आवधिक अंतरालों पर आवश्यक है क्योंकि ये सरकार और कर्मचारी पक्ष के बीच उभरने वाले मदभेदों का समाधान करने में सहायक होती हैं।

4. अतएव, यह अनुरोध किया जाता है कि आयोजित की गई विभागीय परिषदों की बैठकों से संबंधित मांगी गई संगत सूचनाएं शीघ्रातिशीघ्र भेज दें।

संलग्नकः यथोपरि

डी. के. सेनगुप्ता
(डी. के. सेनगुप्ता)
उप सचिव (जेसीए)
दूरभाष सं. 23092982

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(संलग्न सूची के अनुसार)

सूचनार्थ प्रतिलिपिः

सचिव, कर्मचारी पक्ष (जेसीए), 13 सी-फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001